सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

आबकारी भवन, 2-गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर-313001

क्रमांक प032(बी)(1)आब/एल/2017-18/149 दिनांक :-27.02.2017

1. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त,
   जोन-समस्त।
2. जिला आबकारी अधिकारी,
   समस्त।

विषय :-राज्य सरकार की आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2017-18 के बिन्दु संख्या 3.12.3 में लिये गये निर्णय के संबंध में।

प्रसंग :-राज्य सरकार का पत्र क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2017 दिनांक 25.02.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नई आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2017-18 के बिन्दु संख्या 3.12.3 के संबंध में राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र दिनांक 25.02.2017 द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

"आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2017-18 के बिन्दु सं. 3.14.2 तथा 3.15 (ii) के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिये चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस के अनुसार ही बिन्दु सं. 3.12.3 में वर्ष 2018-19 के लिये परिधीय क्षेत्र की "अ" श्रेणी तथा "ब" श्रेणी के गांवों में स्थित कम्पोजिट दुकानो की कम्पोजिट फीस उस दुकान/समूह की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि का 7 प्रतिशत देय होगी। अतः आबकारी नीति के बिन्दु संख्या 3.12.3 में उल्लेखित 6 प्रतिशत के स्थान पर 7 प्रतिशत पढा जायेगा। तद्नुसार बन्दोबस्त प्रकिया में इस बिन्दु को उल्लेखित किया जावे।

(ओ.पी. यादव)
आबकारी आयुक्त,
राजस्थान,उदयपुर

क्रमांक प032(बी)(1)आब/एल/2017-18/149 दिनांक :-27.02.2017

प्रतिलिपि प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, मुख्यालय को भेज कर लेख है कि राज्य सरकार के उपरोक्तानुसार निर्णय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान,उदयपुर